BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
SITTING AT NEW DELHI

IA NO.............. OF 2026

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 120 PB OF 2026
(MEMORANDUM OF APPLICATION UNDER SECTION 18 R/W SECTION 14, 15, 17 OF NGT ACT 2010)

State: Uttar Pradesh
District: Azamgarh
Tehsil: Nizamabad
PS: Saraimir

IN THE MATTER OF

SHAMS-O-QAMAR ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ...RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGES	FEE
1.	Copy of Order of Hon'ble High Court of Allahabad dated 13.04.2023 in PIL No.650/23	1-2	
2.	Copy of Order of Hon'ble High Court of Allahabad dated 18.02.2025 in PIL No.273/2025	3-4	
3.	Copy of Misguiding Report of Local Officials i.e. Sh. Chaman Singh Tehsildar Tehsil Nizamabad, Sh. Radhey Shyam Ram & Sh. Rakesh Pandey, Lekhpal Shubham Kumar of dated 17.07.25 and 25.07.25 with fair typed copy of illegible page	5-12	
4.	Copy of objection against the report misguiding report dated 17.07.25 by applicant on 25.08.2025.	13-15	
5.	Copy of order for Re-Inspection of Gata No.208 Area 0.089 hect.	16	

6.	Copy of misguiding but somehow improved report dated 09.09.2025 filed by Sh. Ashok Kumar Singh Revenue Inspector, Tehsil Nizamabad, Area Lekhpal, Sh. Praveen Kumar Gaur, Lekhpal, Sh. Harvender Ram, Lekhpal, Sh. Vikrant Singh, Lekhpal, Sh. Laldhar Yadav, Lekhpal, Sh. Brij Kishore Yadav, Lekhpal and Sh. Iftkhar Ali Lekhpal with fair typed copy of illegible page.	17-22	
7.	Copy of complaint regarding destruction of 'Well' at the boundary of Gata No.208 Village Pond thereafter filling the soil.	23-25	

New Delhi
Dated: 24-2-26

Applicant in person
S. QAMAR)
Chamber No.250,
Saket Court Complex
New Delhi-110017
Mob:9811070574
Email:qamaradvocate76@yahoo.com

1

Warning :- Don't tamper with the barcode.
Embossing to be done below this line on the last page

Embossing to be done above this line on the last page
This Authenticated Copy is invalid without this page

HIGH COURT AT ALLAHABAD

Computerized Copying Section, High Court of Judicature at Allahabad

Requisition Information								
Folio No.	Application Date	Case Type	Case No.	Year	Case filed at	Date of Judgment/Order	Court Fee	No. of Pages
104023 of 2023	17.4.2023	WPIL	650	2023	Allahabad	13.4.2023	15.0	1

Printed/Prepared by	Authenticated by	Date of Issuance
Signature :- Name :- Om Prakash Saxena Designation :- Review Officer Employee No. :- E10604 **Date of Printing**:- 18.4.2023	Signature :- 18/04/2023 Name :- YOGESH KUMAR/A.R. Designation :- Section Officer Employee No. :- 7075 **Authenticated Copy ready on**:-	APR 2023

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

2

Court No. - 52

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 650 of 2023

Petitioner :- Shams-O-Qamar
Respondent :- State Of U.P. And 6 Others
Counsel for Petitioner :- Firdos Ahmad,Atul Kumar Yadav
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Rameshwar Prasad Shukla

Hon'ble Kshitij Shailendra,J.

Heard Shri Mahesh Kumar, learned counsel holding brief of Shri Firdos Ahmad, learned counsel for the petitioner, learned Standing Counsel for the State-respondents and Shri Rameshwar Prasad Shukla, learned counsel for the respondent no.4-Land Management Committee.

This petition in the nature of public interest litigation has been filed seeking a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the respondent no.3 to remove encroachment made by the private respondents over Arazi No.208 area 0.089 hectares situated at Village Nizamuddin Patti, Tehsil Nizamabad, District-Azamgarh.

A perusal of 'Annexure No.3' to the present petition reveals that the proceedings under Section 67(1) of the U.P. Revenue code-2006 (in short 'the Code-2006') have been registered and the requisite report has been submitted in the office of Tehsildar concerned.

There is no disclosure about the case number allotted to the said proceedings.

However, keeping in view the endorsements/notings made by the revenue officials in 'Annexure Nos.3 and 4' to the present petition, the present public interest litigation petition is being ***disposed off*** with the direction to the court concerned to conclude the proceedings under Section 67 of the Code-2006 within a period of ***six months*** from the date of production of certified copy of this order, after giving full opportunity of hearing to the parties concerned and after following the mandate of law laid down by this Court in the cases of ***Rishipal Singh Vs. State of U.P. and others: 2023 (1) AWC 4*** and ***Leellu Vs. State of U.P. and others: 2023 (3) ADJ 97.***

Order Date :- 13.4.2023
Jyotsana

Digitally signed by :-
JYOTSANA SINGH
High Court of Judicature at Allahabad

AUTHENTICATED COPY
18/09/2023
SECTION OFFICER
COMPUTERISED COPYING SECTION
HIGH COURT ALLAHABAD

True Copy
24-2-26

3

Warning :- Don't tamper with the barcode.
Embossing to be done below this line on the last page

Embossing to be done above this line on the last page
This Authenticated Copy is invalid without this page

HIGH COURT AT ALLAHABAD

Computerized Copying Section, High Court of Judicature at Allahabad

Requisition Information								
Folio No.	Application Date	Case Type	Case No.	Year	Case filed at	Date of Judgment/Order	Court Fee	No.of Pages
36159 of 2025	21.2.2025	WPIL	273	2025	Allahabad	18.2.2025	15.0	1

Printed/Prepared by	Authenticated by	Date of Issuance
Signature :- Name :- Om Prakash Saxena Designation :- Review Officer Employee No. :- E10604 **Date of Printing**:- 22.2.2025	Signature :- 22/02/25 A. K. PATEL Name :- Designation :- Section Officer/AR Employee No. :- 7036 **Authenticated Copy ready on**:-	24 FEB 2025

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

4

Neutral Citation No. - 2025:AHC:22860

Court No. - 50

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 273 of 2025

Petitioner :- Shams-O-Qamar
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Firdos Ahmad
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Rameshwar Prasad Shukla

Hon'ble Chandra Kumar Rai,J.

1. Heard learned counsel for the petitioner, Sri T.P. Gupta, learned standing counsel for the state-respondents and Sri Rameshwar Prasad Shukla, learned counsel for the respondent-gaon sabha.

2. The instant writ petition has been filed for the following relief:-

"(a) Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus, commanding and directing the respondent no.2 to decide the Appeal No.D202315060004837, under Section 67(5) of the U.P. Revenue Code, 2006, titled as Mohd. Shahid vs. Tehsildar, Tehsil Nizamabad, District Azamgarh, U.P. within stipulated period and further direct to remove encroachment made by private respondents over the arazi no.208, area 0.089 hect., situated at village Nizamuddin Patti, Tehsil Nizamabad, District Azamgarh."

3. Counsel for the petitioner submitted that against the order for ejectment and damages, passed by the Tehsildar, appeal under Section 67(5) of the U.P. Revenue Code, 2006 is pending before respondent no.2/Collector, as such, appropriate direction be issued for the expeditious disposal of the appeal.

4. Learned standing standing counsel on the basis of the instruction dated 11.2.2025, which is taken on record today, submitted that 27.2.2025 is the next date fixed in the appeal under Section 67(5) of the U.P. Revenue Code, 2006, as such, appropriate steps shall be taken after disposal of the pending appeal.

5. Considering the facts and circumstances of the case, without expressing any opinion on the merits of the case, this petition is disposed of with an observation the pending appeal shall be decided by respondent no.2/Collector, Azamgarh, expeditiously, after affording proper opportunity of hearing to the parties concerned, in accordance with law.

Order Date :- 18.2.2025
C.Prakash

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH
High Court of Judicature at Allahabad

True Copy
24-2-26

AUTHENTICATED COPY
22/02/25
SECTION OFFICER/AR
COMPUTERISED COPYING SECTION
HIGH COURT ALLAHABAD

5

2681

मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण

न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0), आजमगढ़।

पत्रांक /रीडर दिनांक जुलाई, 2025

मो0 शाहिद बनाम तहसीलदार	मु0नं0 D202315060004837 धारा 67(5) उ0प्र0रा0सं0 2006 ग्राम निजामुद्दीनपुर परगना व तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

तहसीलदार,
निजामाबाद, आजमगढ़।

कृपया इस न्यायालय के पत्र संख्या 2458/रीडर दिनांक 25 मई 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवर न्यायालय की पत्रावली व अभिलेखीय/स्थलीय आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु वाद पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया। आप द्वारा अवर न्यायालय की पत्रावली प्राप्त करायी गयी, किन्तु अभिलेखीय/स्थलीय आख्या उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण वाद निस्तारण कार्यवाही में अनावश्यक रूप से विलम्ब हो रहा है, जबकि उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय से आच्छादित है।

अतः आदेश दिनांक 01.05.2025 के क्रम में अपील की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि मूल पत्रावली व वाद पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थलीय आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नक–यथोपरि।

रीडर
अपर कलेक्टर (वि0/रा0),
आजमगढ़।

True Copy of order
for spl. dispatch
24-2-26

Scanned with CamScanner

6

आदेश

मा0न्यायालय अपर जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट(वि0/रा0) महोदय आजमगढ़ के पत्र सं0 2377/रीडर मई,2025 मो0 शाहिद बनाम तहसीलदार मु0 डी202315060004837 धारा 67(5) उ0प्र0रा0सं0 2006 ग्राम निजामुद्दीनपट्टी परगना व तहसील निजामाबाद आजमगढ़। उक्त सन्दर्भित अपील न्यायालय तहसीलदार निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के वाद सं0 टी202315060201218 रिपोर्ट बनाम इस्तियाक अहमद स्थित ग्राम निजामुद्दीनपट्टी में आ0 न0 208 की अभिलेखीय / स्थलीय आख्या उपलब्ध करने हेतु निदेर्शित किया हैं। उक्त के सम्बन्ध राजस्व टीम गठित की जाती है।

01.श्री राधेश्याम राम राजस्व निरीक्षक
02.श्री राकेश पाण्डेय राजस्व निरीक्षक
03.श्री शुभम कुमार हल्का लेखपाल
04.श्री पवन कुमार गोड़ लेखपाल

अतः उपरोक्त अधिकारी / कर्मचारी को निदेर्शित किया जाता है कि दिनांक 23.07.2025 को स्थीलय जॉच कर आख्या अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

(चमन सिंह)
तहसीलदार निजामाबाद
आजमगढ़।

न्यायालय तहसीलदार निजामाबाद– आजमगढ़

पत्रांकः–12 /एम0जे0 दिनांक–15 जुलाई,2025

प्रतिलिपि–

01. ज्वाइंट मजिस्ट्रेट / उपजिलाधिकारी महोदय निजामाबाद, आजमगढ़ को सादर सूचनार्थ ।
02. उपरोक्त राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल को अनुपालनार्थ।

(चमन सिंह)
तहसीलदार निजामाबाद
आजमगढ़

नकलकर्ता बाबाप्रीत
21-11-25

सत्य-प्रतिलिपि
पेशकार/बाबू
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
आजमगढ़
24-11-25

True Copy of order for constituting a team
24-2-26

7

प्रकरण - HC से सम्बन्धित है

श्रीमान्

वांछित आख्या अपूर्ण होने के कारण वापस की जाती है।

अतः अनुरोध है कि वांछित आख्या विवादित गाटा का सीमांकन कर फील्डबुक के साथ भेजवाने की कृपा करें।

ह० 22.7.25

23-7-25

महोदय,

कृपया आपके न्यायालय के पत्र सं0 2377/रीडर दिनांक 02 मई,2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करे जिसमे वाद स0 टी 202315060201218 रिपोर्ट बनाम इस्तियाक अहमद स्थित ग्राम निजामुद्दीनपट्टी परगना व तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बावत् आ0 न0 208 अन्तर्गत धारा 67 उ0प्र0रा0सं0 2006 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के आदेश दिनांक 02.05.2025 द्वारा अवर न्यायालय की पत्रावली मय स्थलीय / प्रस्तरवार आख्या उपलब्ध करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के संदर्भ में प्रस्तवार आख्या इस प्रकार है–

01. प्रस्तर–1 किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
02. प्रस्तर–2 किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
03. प्रस्तर–3 किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
04. प्रस्तर–4 किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
05. प्रस्तर–5 किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
06. प्रस्तर–6 किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

मूल पत्रावली पत्रांक सं0 594 दिनांक 17.06.2025 को न्यायलय में उपलब्ध करा दी गयी है।

अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा मे प्रेषित।

संलग्नक–

01. राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 17.07.2025 की प्रति।

तहसीलदार/मजिस्ट्रेट निजामाबाद आजमगढ़

तहसीलदार
निजामाबाद–आजमगढ़।

True Copy
24-2-26

8

न्यायालय तहसीलदार–निजामाबाद, आजमगढ़

पत्रांक 545/न्याय लिपिक दिनांक 28 जुलाई, 2025

मो0शाहिद बनाम तहसीलदार | मु0न0 डी202315060004837 धारा 67(5) रा0सं02006 ग्राम-निजामुद्दीनपट्टी परगना व तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के वाद में अवर न्यायालय की पत्रावली मय स्थलीय / प्रस्तरवार आख्या मंगाये जाने के सम्बन्ध में

अपर कलेक्टर (वि0/रा0)
आजमगढ़।

महोदय,

कृपया आपके न्यायालय के पत्र सं0 2377/रीडर दिनांक 02 मई,2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करे जिसमे वाद स0 टी 202315060201218 रिपोर्ट बनाम इस्तियाक अहमद स्थित ग्राम निजामुद्दीनपट्टी परगना व तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बावत् आ0 न0 208 अन्तर्गत धारा 67 उ0प्र0रा0सं0 2006 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के आदेश दिनांक 02.05.2025 द्वारा अवर न्यायालय की पत्रावली मय स्थलीय / प्रस्तरवार आख्या उपलब्ध करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के संदर्भ में प्रस्तवार आख्या इस प्रकार है–

प्रस्तर–1 किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
प्रस्तर–2 किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
प्रस्तर–3 किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
प्रस्तर–4 किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
प्रस्तर–5 किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
प्रस्तर–6 किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

मूल पत्रावली पत्रांक सं0 594 दिनांक 17.06.2025 को न्यायलय में उपलब्ध करा दी गयी है। प्रस्तवार आख्या पत्रांक 442 दिनांक 21.02.2025 को उपलब्ध करायी गयी थी। आपके अहलमद द्वारा वांछित आख्या अपूर्ण होने के कारण वापस की गयी है और कहा गया की वांछित आख्या विवादित गाटा का सीमांकन कर फील्ड बुक के साथ भेजवाने का कष्ट करे। उक्त के क्रम में पुनः राजस्व निरीक्षक से जांच करायी गयी। जॉच आख्या दिनांक 25.07.2025 में उल्लेख किया गया कि मौके पर 0.089हे0 से अधिक भूमि परती व गाड़ा नुमा खाली है। लेकिन सेहद्दा पत्थर से यह सुनिश्चित करना सम्भव नही हैं कि यह गाटा सं0 208 का रकबा है अथवा आबादी गाटा सं0 193 का आंशिक रकबा है। अथवा दोनो का सम्मिलत भाग है। राजस्व निरीक्षक की आख्या संलग्न है।

अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा मे प्रेषित।

संलग्नक–

01. राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 17.07.2025 व 25.07.2025 की प्रति।

कार्यालय तहसीलदार/मजिस्ट्रेट निजामाबाद, आजमगढ़

28-7-25
तहसीलदार
निजामाबाद–आजमगढ़।

कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी

True Copy
24-2-26

9

न्यायालय अपर जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट (वि०/रा०) आजमगढ़

पत्रॉक : 2377/रीडर

दिनॉक 02अई2025

मो० शाहिद
बनाम
तहसीलदार

मु० नं० D202315060004837 धारा-67(5) उ० प्र० रा० सं० 2006 बावत ग्राम-निजामुद्दीन पट्टी पर० व तहसील-निजामाबाद जनपद आजमगढ़

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित वाद के निस्तारण हेतु गठित राजस्व टीम द्वारा दिनॉक 17.07.2025 को स्थलीय एवं अभिलेखीय निरीक्षण किया जो निम्नलिखित प्रकार है-

गाटा सं०-208/0.089हे० स्थित मौजा-निजामुद्दीनपट्टी पर० व तहसील-निजामाबाद, जनपद-आजमगढ़ के सरकारी अभिलेख खतौनी में गड़ा खाते में अंकित है। जो तीन तरफ से आबादी गाटा सं०-193 से घिरा हुआ है। सेहद्दा पत्थर 02 से गाड़ा सं० 208 लगभग 47 जरीब दूर है तथा सेहद्दा पत्थर 362 व 419 से सन्दर्भित गाटा सं०-208 पर आना आबादी बसी होने के कारण संभव नही है। मौके पर 0.089हे० से अधिक भूमि परती व गड़ानुमा खाली है। लेकिन सेहद्दा पत्थर से यह सुनिश्चित करना संभव नही है कि वह गाटा सं०-208 का रकबा है, या आबादी गाटा सं०-193 का रकबा है अथवा दोनो का सम्मिलित भाग है।

अतः रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतु सादर सेवा मे प्रेषित है।

(हस्ताक्षर) 17/07/25
शुभम कुमार लेखपाल
मण्डल ......ओहदपुर.....
तहसील निजामाबाद - आजमगढ़

(हस्ताक्षर) 17.07.25
राधेश्याम राव
रा० नि० क्षे०......
तह०-निजामाबाद, आजमगढ़

(हस्ताक्षर) 17.07.25
राकेश कुमार पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र-संजरपुर
तहसील-निजामाबाद, आजमगढ़

अग्रसारित
(हस्ताक्षर) 22-7-25

True Copy
(हस्ताक्षर) 24-2-26

10

स्पॉट मेमो

ज दिनांक- 17/07/25 को आवेदक मो० शाहिद पुत्र/~~पत्नी~~ इश्तियाक
वासी ग्राम निजामुद्दीनपट्टी तहसील निजामाबाद जिला आजमगढ़ द्वारा दिए
ए वाद ~~प्रार्थना~~ पत्र संख्या D202315060004837 की स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच के क्रम में
ग्राम निजामुद्दीनपट्टी परगना निजामाबाद तहसील- निजामाबाद, जिला- आजमगढ़ में उपस्थित हुआ।
पूर्व सुचना के अनुसार आवेदक, विपक्षी व अन्य ग्रामवासी मौके पर उपस्थित रहे। प्रमाणस्वरूप मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाया गया।

शुभम कुमार लेखपाल 17/07/25
राजस्व टीम(यदि हो)
मण्डल ...... - आजमगढ़
तहसील निजामाबाद

आवेदक का हस्ताक्षर-

विपक्षी का हस्ताक्षर-

राधेश्याम राम 17/07/25
रा० नि० क्षे०.. संजरपुर
तह०-निजामाबाद, आजमगढ़

हस्ताक्षर ग्रामवासी -

पुलिस टीम(यदि हो)

17.7.25
राकेश कुमार पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र-संजरपुर
तहसील-निजामाबाद,आजमगढ़

नजरी नक्शा

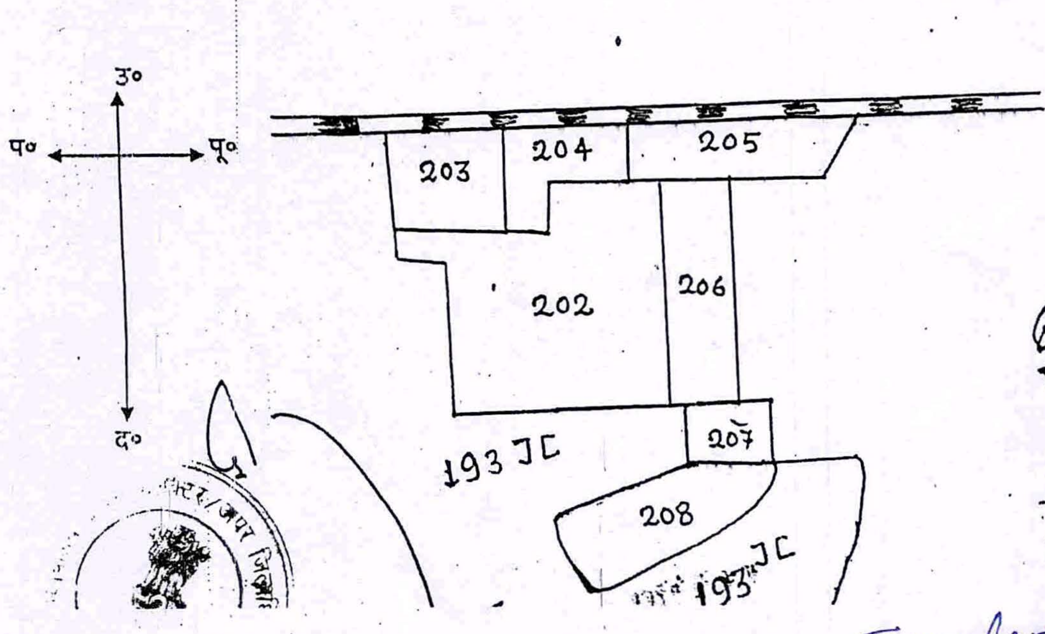

शुभम कुमार लेखपाल 17/07/25
मण्डल ...... - आजमगढ़
तहसील निजामाबाद

राधेश्याम राम
रा० नि० क्षे०.. संजरपुर
तह०-निजामाबाद, आजमगढ़

True Copy
24-2-26

न्यायालय अपर जिलाधिकारी / मजिस्ट्रेट (वि/रा) आजमगढ़ ||

पत्रांक 2377 / रीडर

मो० शाहिद बनाम सरकार } वाद सं० D 2023/50600004837 धारा 67(5) U.P.R.C. 2006 ग्राम - निजामुद्दीनपट्टी परगना व तहसील - निजामाबाद जनपद - आजमगढ़ रकबा गा०सं० 208/0.089 हे०

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित वाद के निस्तारण हेतु गठित राजस्व टीम द्वारा दिनांक 17/07/2025 को स्थलीय एवं अभिलेखीय निरीक्षण किया गया जो निम्नांकित है —

गा०सं० 208/0.089 हे० स्थित ग्राम मौजा निजामुद्दीनपट्टी परगना व तहसील - निजामाबाद जनपद - आजमगढ़ के वर्तमान खतौनी में मार्ग खाते में अंकित है जो लीक रूप है, आबादी गा०सं० 193 से घिरा हुआ है। सहद्दा पत्थर शीट-2 गा०सं० 208 से लगभग 47 जरीब दूरी पर है तथा सहद्दा पत्थर 362 व 419 से सम्बंधित गाटा सं० 208 पर बीच में आबादी होने के कारण आना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में विवादित गा०सं० का शुद्धतापूर्वक सीमांकन करना व अतिक्रमण चिन्हित करना सम्भव नहीं है।

जबकि मौके पर 0.089 हे० से अधिक भूमि परती व गड्ढा युक्त खाली है लेकिन सहद्दा पत्थर से पड़ताल चिन्हित करना सम्भव नहीं है कि पड़ता गा०सं० 208 का रकबा है अथवा आबादी गा०सं० 193 का आंशिक रकबा है अथवा दोनों का सम्मिलित भाग है।

अतः उचित कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

शुभम कुमार लेखपाल 25/07/25
मण्डल ....सोनडेपुर
तहसील निजामाबाद - आजमगढ़

राधेश्याम राम 25/07/25
रा० नि० क्षे० ....
तह०-निजामाबाद, आजमगढ़

25.07.25
राकेश कुमार पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र-संजरपुर
तहसील-........आजमगढ़

25/07/2025

अपर जिलाधिकारी (वि/रा) आजमगढ़

सत्य-प्रतिलिपि

True Copy 24/2/26

12

न्यायालय श्रीमान अपरजिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट (वि/रा), आज़मगढ़

पत्रांक संख्या 2377/रीडर्

मो0 शाहिद	वाद सं.D 2023/5060004837 अन्तर्गत धारा 67(5)
बनाम	U.P.R.C. 2006 आ0 मौजा–निजामुद्दीनपट्टी
तहसीलदार	परगना व तहसील–निजामाबाद जनपदःआज़मगढ़
	बाबत गा0 सं0 208/0.089 हे0

महोदय,

उपरोक्त सदर्शित वाद के निस्तारण हेतु गठित राजस्व टीम द्वारा दिनांक 17.07.2025 को स्थलीय एवं अभिलेखीय निरीक्षण किया गया जो निम्नांकित है।

गा0 सं. 208/0.089 हे0 स्थित आ0 मौ0 निजामुद्दीन पट्टी परगना व तहसील – निजामाबाद जनपद – आजमगढ़ के वर्तमान खतौनी में गाड़ा खाते में अंकित है जो तीन तरफ से आबादी गा0 सं. 193 से घिरा हुआ है। सेहद्दा पत्थर संख्य–2 गा. सं. 208 से लगभग 47 जरीब दूरी पर है तथा सेहद्दा पत्थर 362 व 419 से संदर्शित गाटा सं0 208 पर बीच में आबादी होने के कारण आना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में विवादित गा0 सं. का शुद्धतापूर्वक सीमांकन करना व फील्डबुक बनाना सम्भव नही है।

जबकि मौके पर 0.089 हे0 से अधिक भूमि परती गाड़ानुमा खाली है लेकिन सहद्दा पत्थर से यह सुनिश्चित करना सम्भव नही है कि यह गा. सं. 208 का रकबा है अथवा आबादी गा. सं. 193 का आंशिक रकबा है अथवा दोनों का सम्मिलित भाग है।

अतः उचित कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

हस्ता0 25.07.25
शुभम कुमार पांडेय
मण्डल ओहदपुर
तहसील निजामाबाद आजमगढ़

हस्ता0 25.07.25
राधेश्याम राम
रा0 नि0 क्षे0 सरायमीर
तह0–निजामाबाद, आजमगढ़

हस्ता0 25.0725
राकेश कुमार पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र संजरपुर
तहसील निजामाबाद आजमगढ़

True Typed Copy
24-2-26.

98

13

श्रीमान न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) महोदय, आजमगढ़।

अपील संख्या–4837/23

मो0 शाहिद	।	अन्तर्गत धारा 67(5) उ0प्र0रा0सं0 2006
बनाम	।	ग्राम–निजामुद्दीनपट्टी, परगना व
तहसीलदार निजामाबाद	।	तहसील–निजामाबाद, जनपद–आजमगढ़।

<u>आपत्ति विरूद्ध रिपोर्ट व स्पाटमेमो दिनांक 17.07.2025 एवं 25.07.2025 मिनजानिब शम्से कमर विपक्षी बदफात जैल है–</u>

1. यह कि उपरोक्त अपील मुकदमा संख्या 1218/23 में पारित आदेश दिनांक 09.11. 2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है।
2. यह कि दिनाक 02.05.2025 को न्यायालय में so called अपीलकर्ता की एप्लीकेशन पर दोबारा स्थलीय जाँच का आदेश दिया था जिस पर पहले दिनांक 19.06.2025 को कानूनगो निजामाबाद द्वारा स्थलीय जाँच की गयी और रिपोर्ट भी तैयार की गयी लेकिन उक्त रिपोर्ट न्यायालय को नहीं सौंपी गयी इसलिए की उक्त रिपोर्ट विपक्षी/अतिक्रमणीय के खिलाफ थी इसलिए प्रकरण को घुमाने और झूठी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दोबारा दिनांक 17.07.2025 को फिर से स्थलीय जांच की गयी जिसमें जबरदस्ती सरहदी जाँच का उल्लेख किया गया जबकि स्थलीय जाँच और सरहदी जाँच दोनों से गाटा संख्या 208 रकबा 0.089 हे0 गाढ़े की भूमि पर विपक्षी द्वारा अतिक्रमण स्पष्ट हो रहा था। लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने निहित स्वार्थ से प्रेरित होकर झूठी रिपोर्ट तैयार की जिसकी शिकायत प्रार्थी ने चीफ मिनिस्टर पोर्टल के माध्यम से शिकायत नं0 40019125033973 के जरिये दिनाक 19.07.2025 को कर दी थी और न्यायालय को भी स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 25.07.2025 को भेज दिया था. जिसकी कॉपी संलग्न है। लेकिन दिनांक 18.08 2025 को रिपोर्ट दिनांक 17.07.2025 व 25.07.2025 की कॉपी मिलने के बाद ये आपत्ति माननीय न्यायालय को सौंपी जा रही है।
3. यह कि स्थानीय अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.07.2025 एवं 25.07.2025 में यह बताया है कि गाटा संख्या 208 रकबा 0.089 हे0 सरकारी अभिलेख में गढ़डा खाते की भूमि है और वो तीन तरफ से आबादी से घिरी हुई है बिल्कुल गलत व निराधार है क्योंकि गाटा संख्या 208 रकबा 0.089 हे0 गाढ़ा खाते की भूमि तो है

लेकिन सिर्फ दो तरफ (पश्चिम व दक्षिण) से आबादी के गाटाजात 193 और दो तरफ (पूर्व व उत्तर) से चक गाटा संख्या 209 व गाटा संख्या 206 व गाटा संख्या 202 व बंजर भूमि गाटा संख्या 207 और गाटा संख्या 207 की मेढ़ पर मौजूद कुँए से सीमांकित है जहाँ गाटा संख्या 207 व 208 की मेढ़ पर एक कुँआ भी ग्रामसभा नक्शे में अंकित है लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने गलत बयानी करते हुए प्रकरण को घुमाने फिराने का भरपूर प्रयास किया है और अपने स्पॉट मिमो में कुऐ की जगह गाटा संख्या 207 अंकित किया और 207 की जगह आबादी का गाटा 193 अंकित किया है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रेषित किया गया स्पॉट मिमो व ग्रामसभा के नक्शे की सत्य प्रतिलिपि व गाटा संख्या 207 रकबा 0.037 हे0 की छायाप्रति अवलोकन के लिए संलग्न है।

4. यह कि स्थानीय अधिकारियों ने मौके पर अतिक्रमण स्पष्ट होने के बावजूद सरहदी जाँच की लेकिन फिर भी अतिक्रमण स्पष्ट हो रहा था। इसलिए कि कोई भी गाढे की भूमि आबादी भूमि से सम्मिलित नहीं है बिल्कुल अलग–अलग है दो दूना–चार की तरफ स्पष्ट है, स्थानीय अधिकारियों ने झूठी रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की है। खुद स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रेषित नक्श नजरी में मौजूद चकमार्ग से भी गाटा संख्या 208 और साथ में अतिक्रमण स्पष्ट हो रहा है।

5. यह कि उपरोक्त गाटा संख्या 208 की 50 प्रतिशत से ज्यादी की भूमि पर मिट्टी पाट कर कब्जा कर लिया गया है और साथ में पक्का निर्माण भी कर लिया गया है इसलिए ये बात भी गलत व निराधार है कि 0.089 हे0 से ज्यादा भूमि खाली है, स्थानीय अधिकारी झूठ बोलकर झूठी रिपोर्ट प्रेषित कर रहे हैं। अतिक्रमणीय स्थान का फोटोग्राफ संलग्न है।

6. यह कि स्पॉट मेमो में जो नजरी नक्शा बनाया गया है वह भी गलत व प्रकरण को भटकाने वाला है इसलिए कि नक्शे में जहा कुँआ अंकित है उसको गाटा संख्या 207 बताया गया है और गाटा संख्या 207 रकबा 0.037 हे0 को गाटा संख्या 193 आवादी भूमि बताई गई है जो सिरे से गलत व झूठ है। इसका स्पष्टीकरण खुद ग्राम सभा के नक्शे और गाटा संख्या 207 की खतौनी से किया जा सकता है जो पहले ही संलग्न किया जा चुका है। गाटा सं० 208 उत्तर व पूरब से घिरा जोता बोया जा रहा है आबादी नहीं है

7. यह कि आदेश दिनांक 09.11.2023 मो0 शाहिद के विपरीत पारित नहीं किया गया है, बल्कि इस्तेयाक अहमद के विरूद्ध पारित किया गया है। शाहिद द्वारा मुख्तारेखास की फोटोकापी लगाकर अपील प्रस्तुत की गयी है, जो ग्राह्य नहीं है। मुख्तारेखास केवल तहसीलदार के न्यायालय में मुकदमा की पैरवी के लिए किया गया होगा। मुख्तारेखास की मूल प्रति अपील के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी है, इसलिए अपील हाजा निरस्त होने योग्य है।

15

8. यह कि दिनांक 25.07.2022 को शिकायतकर्त्ता की शिकायत और उसके बाद पोर्टल के माध्यम से अन्य शिकायतों पर उस वक्त रहे लेखपाल रामूराम ने भी मौके–मौके से गलत रिपोर्ट प्रेषित की है लेकिन यह कभी नहीं कहा है कि गाटे की भूमि आबादी में सम्मिलित है जिसकी वजह से पता नहीं चल रहा है और तब से लेकर अब तक भूगोलिक बदलाव भी नहीं हुआ है इसलिए यह कैसे कहा जा सकता है कि गाढ़े की भूमि आबादी भूमि में सम्मिलित होने की वजह से गढ़डे की भूमि को सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है। स्थानीय अधिकारियों का तर्क बिल्कुल झूठा व निराधार है बल्कि अतिक्रमणीय से मिलीभगत होने को दर्शाता है। लेखपाल रामूराम द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की कॉपी दिनांक 26.08.2022, 16.09.2022, 03.10. 2022 व 07. 12.2022 अवलोकन हेतु संलग्न है।

प्रार्थना

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि रिपोर्ट व स्पाट मेमो दिनांक 17.07.2025 एवं 25.07.2025 (खारिज करके) निरस्त किया जाय। चूँकि अधिनस्थ अधिकारी दुनियावी लालच में आ चुके हैं, विश्वास योग्य नही हैं। स्वयं स्थल निरीक्षण किया जावे या लोकल कमिश्नर द्वारा शिकायतकर्ता की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कराया जाय और मौके पर रिपोर्ट तैयार की जाये जो कैमरे की निगरानी में हो और मौजूदा स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोई जाँच न कराया जाय। ताकि न्याय हो।

दिनांकः– 25/08/2025

प्रार्थी,

शम्से कमर पुत्र स्व0 फिरोज अहमद,

ग्राम–निजामुददीनपट्टी,

परगना व तहसील–निजामाबाद,

जनपद–आजमगढ़।

25/08/025

सत्य-प्रतिलिपि

पेशकार
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
आजमगढ़
24-11-025

नकलकर्ता
True Copy
24-12-25

16

मा0उच्च न्यायालय प्रकरण।

न्यायालय अपर कलेक्टर/अपरजिलाधिकारी (वि0/रा0) आजमगढ़।

संख्या 3959/रीडर–अजिअ दिनांक 28 अगस्त,2025

मु0नं0 डी202315060004837 अर्न्तगत धारा–67(5)उ0प्र0 रा0सं02006

मो0 शाहिद बनाम तहसीलदार

ग्राम–निजामुद्दीनपट्टी परगना व तहसील–निजामाबाद जनपद–आजमगढ़।

तहसीलदार,
निजामाबाद।

उक्त वाद अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व की तर्कपूर्ण बहस को सुनने के बाद आदेश में नियत है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 25.07.2025 जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.07.2025 को अग्रसारित की गयी है, में उल्लेख है कि मौके पर 0.089हे0 अधिक भूमि परती व गाड़ानुमा खाली है, लेकिन सेहद्दा पत्थर से यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है कि यह गाटा संख्या 208 का रकबा है अथवा आबादी गाटा संख्या 193 का आंशिक रकबा है अथवा दोनों का सम्मिलित भाग है, जब कि लेखपाल की रिपोर्ट के आधार आप द्वारा बेदखली का आदेश दिनांक 09.11.2023 को पारित करते हुए क्षतिपूर्ति आरोपित किया गया है। उक्त आख्या दिनांक 25.07.2025 पर विपक्षी शम्सेकमर द्वारा दिनांक 25.08.2025 को आपत्ति दाखिल की गयी है।

अतएव विपक्षी की आपत्ति दिनांक 25.08.2025 व राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 25.07.2025 संलग्न कर आप को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व टीम गठित कर गाटा संख्या 208 का सीमांकन कराकर सुस्पष्ट स्थलीय आख्या मय फील्डबुक के उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न हो। प्रकरण मा0उच्च न्यायालय मैण्डमस से सम्बंधित है।

संलग्नक–यथोपरि।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
आजमगढ़।

R.I
आदेश के क्रम में आख्यानुसार स्पष्ट स्थलीय आख्या मय फील्डबुक के समिति द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय से सम्बन्धित है

तह0
29-08-025

कार्यालय/न्यायालय अपर कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आजमगढ़

True Copy
24-2-26

17

आदेश

मा0 न्या0 अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय आजमगढ़ के पत्र 3959/रीडर मई 2025 गो0 शाहिद बनाम तहसीलार मु0नं0 डी202315060004837 धारा 67(5) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 ग्राम निज़ामुद्दीन पट्टी पर0 व तह0 निजामाबाद आजमगढ़ में सन्दर्भित अपील न्यायालय तहसीलदार निज़ामाबाद आजमगढ के वाद सं0 टी 202315060201218 रिपोर्ट बनाम इस्तेयाक अहमद ग्राम निजामुद्दीन पट्टी में स्थित गाटा सं0 208 रकबा 0.089हे0 नवैयत गाटा की अभिलेखीय एवं स्थलीय आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रकरण के क्रम में श्री अशोक सिंह रा0नि0 क्षेत्र शेरवॉ की अध्यक्षता में निम्नलिखित राजस्व टीम का गठन किया जाता है:-

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	अभियुक्ति
1	श्री हरेन्द्र राम	लेखपाल	
2	श्री बृजकिशोर यादव	लेखपाल	
3	श्री लालधर यादव	लेखपाल	
4	श्री इस्तेखार अली	लेखपाल	
5	श्री विक्रान्त सिंह	लेखपाल	

उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 04.09.2025 को स्थलीय/अभिलेखीय परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही से 05 दिवस के अन्दर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि

तहसीलदार
निजामाबाद,आजमगढ़।

कार्यालय तहसीलदार निजामाबाद आजमगढ़।

पत्रांक 137 रा0नि0(कार्या0) निजामाबाद दिनांक 01 सितम्बर,2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-तहसीलदार निजामाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- थानाध्यक्ष सरायमीर पर्याप्त पुलिस बल (महिला व पुरूष) उपलब्ध कराने हेतु अनुपालनार्थ।

3- उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारियों को अनुपालनार्थ।

तहसीलदार
निजामाबाद,आजमगढ़।

कार्यालय/न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)

सत्य-प्रतिलिपि

पेशकार
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
आजमगढ़

True Copy

18

नजरी नक्शा व फील्ड बुक

बावत गाटा सं० 208/0.089 हे०

स्थित ग्राम निजामुद्दीनपट्टी तहसील निजामाबाद आजमगढ़

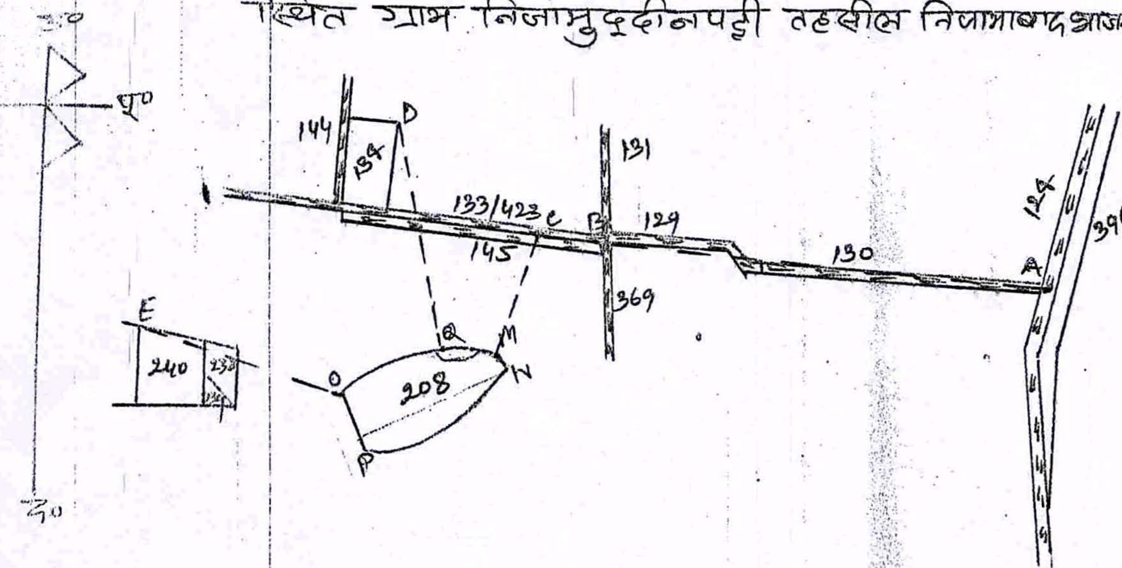

चली गयी नापी की लाइन	मौके पर प्राप्त दूरी (कड़ी में)	भूचित्र के अनुसार दूरी (कड़ी में)
AB	2000	1940
AC	2400	2400
CM	400	400
DQ	750	750
EO	340	340
MN	30	30
MO	240	240
OP	80	80
QM	80	80

रा० नि०
5/9/25
अशोक कुमार सिंह
राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र-शेरवाँ
तहसील-निजामाबाद, आजमगढ़

लेखपाल
मुहम्मदपुर
तहसील निजामाबाद, आजमगढ़

05/09/25

निजामाबाद, आजमगढ़

True Copy
24.2.26

19

स्पॉट मेमो

आज दिनांक- 04/09/2025 को आवेदक शमसेआँ कमर पुत्र/पत्नी फिरोज अहमद निवासी ग्राम निजामुद्दीनपट्टी तहसील निजामाबाद जिला आजमगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र संख्या........ की स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच के क्रम में ग्राम निजामुद्दीनपट्टी परगना .... तहसील- निजामाबाद, जिला- आजमगढ़ में उपस्थित हुआ। पूर्व सूचना के अनुसार आवेदक, विपक्षी व अन्य ग्रामवासी मौके पर उपस्थित रहे। प्रमाणस्वरूप मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाया गया।

आवेदक का हस्ताक्षर- आवेदक मौके पर उपस्थित नही हुये आवेदक के भाई उपस्थित हुये, उनके भाई द्वारा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया है।

विपक्षी का हस्ताक्षर-

हस्ताक्षर ग्रामवासी -

(ग्राम प्रधान)

राजस्व टीम(यदि हो)

04/09/25
विक्रान्त सिंह (लेखपाल)
मण्डल...
तह०-निजामाबाद, जिला- आजमगढ़

04/09/2025
(लेखपाल)
मण्डल....
तहसील-निजामाबाद, जनपद-आजमगढ़

पुलिस टीम(यदि हो)

04-09-2025

बृजकिशोर यादव (लेखपाल)
मण्डल ...
तहसील-निजामाबाद, आजमगढ़

नजरी नक्शा

उ०
प० पू०
द०

अशोक कुमार सिंह
राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र-...
तहसील-निजामाबाद, आजमगढ़
5/9/25

5/9/25
... राम लेखपाल
मण्डल मुहम्मदपुर
तहसील- निजामाबाद, आजमगढ़

कार्यालय / न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) आजमगढ़

सत्य-प्रतिलिपि

पेशकार/कई.
अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)
आजमगढ़
24-11-025

True Copy
24-2-26

20

महोदय,

कृपया कार्यालय तहसीलदार महोदय निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के आदेश दिनांक 29/08/2025 का संदर्भ गृहण करने की कृपा करे जिसमें मा० न्यायालय अपर कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) आजमगढ़ के पत्र संख्या 3959/रीडर अजिअ दिनांक 28/08/25 द्वारा मु. न. डी202315060004837 मो० शाहिद बनाम तहसीलदार वाद अंतर्गत धारा 67 (5) उ०प्र०रा०सं० 2006 बाबत गाटा संख्या 208 स्थित ग्राम निजामुद्दीन पट्टी परगना व तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़ में राजस्व निरीक्षक आख्या दिनांक 25/07/2025 पर आपत्ति द्वारा विपक्षी शम्से कमर दिनांक 25.08.2025 के क्रम में राजस्व टीम गठित कर स्थलीय आख्या मय फील्ड बुक उपलब्ध कराए जाने के बाबत निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में गठित राजस्व टीम द्वारा मौके पर जाकर स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच की गई व गाटा संख्या 208 का सीमांकन किया गया जाँच आख्या निम्नवत् है।

महोदय उक्त प्रकरण में सादर अवगत कराना है कि ग्राम निजामुद्दीनपट्टी के राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 208/0.089हे० गाड़ा खाते की भूमि है। उक्त गाटा संख्या 208/0.089हे० गाड़ा खाते की भूमि, गाटा संख्या 193 रकबा 1.437हे० आबादी श्रेणी 6(2) व गाटा संख्या 207 रकबा 0.037हे० बंजर खाते की भूमि व गाटा संख्या 209 रकबा 0.176 हे० संक्रमणीय भूमिधर अब्दुल कयूम पुत्र मुख्तार से घिरी हुयी है। वर्तमान गाटा संख्या 193 क्षेत्रफल 1.437 हे0 के संपूर्ण रकबे पर सार्वजनिक आबादी व रास्ता कायम है। गाटा संख्या 208 गाड़ा भूमि के सीमांकन के बाबत भूचित्र के आधार पर स्थाई पत्थर की तलाश किया जो ग्राम निजामुद्दीनपट्टी स्थित गाटा संख्या 293 व गाटा संख्या 362 में निर्मित पाया गया। उक्त दोनों पत्थरों से गाटा संख्या 208 के सीमांकन के बाबत जरीबी लाइन चलना संभव न होने पर आस–पास अन्य स्थाई पत्थरों की तलाश किया जो प्रश्नगत स्थल से काफी दूर व आबादी से घिरे होने के कारण सीमांकन हेतु उपयुक्त नहीं थे। तत्पश्चात गाटा संख्या 208 के सीमांकन के बाबत चकमार्ग गाटा संख्या 124 व चकमार्ग गाटा संख्या 130 की कटान बिन्दु (तीमेड़ा) जिसे संलग्न फील्डबुक में बिन्दु A से प्रदर्शित किया गया है व मुख्यमार्ग गाटा संख्या 129 व 369 व मार्ग गाटा संख्या 131 व 133/423 के कटान बिन्दु (चौमेडा) जिसे संलग्न फील्डबुक में बिन्दु B से प्रदर्शित किया गया है, तथा A की सहायता से काल्पनिक बिंदु C मुताबिक भू–चित्र खींचा गया तथा गाटा सं०134 के उत्तरी पूर्वी कोण को बिंदु D तथा गाटा सं० 240 की उत्तरी पश्चिमी कोण को बिंदु E से प्रदर्शित किया गया है। उक्त बिंदु A,C,D,E को आधार मानकर गाटा संख्या 208/0.089हे० गाड़ा खाते की भूमि का सीमांकन किया गया। मौके पर चली गई दूरी व जरीबी लाइन को फील्ड बुक में प्रदर्शित किया गया है जिस कारण पुनः यहां अंकित करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त बिन्दुओं से सीमांकन उपरांत विदित हुआ कि गाटा संख्या 208/0.089 हे० गाड़ा भूमि में से रकबा 0.004 हे० भूमि पर इस्तियाक अहमद पुत्र कायम अली व रकबा 0.010हे0 पर असहद मो० अरशद, मो०फहीम पुत्रगण अबुलैस अहमद द्वारा पक्का पैतृक आवासीय मकान बनाकर अवैध अध्यासन किया गया है। महोदय साथ ही यह भी अवगत कराना है कि गाटा संख्या 208 रकबा 0.089 हे० आबादी गाटा संख्या 193/1.437 हे० से घिरा हुआ है तथा मौके पर 0.089 हे0 से अधिक भूमि परती व मौके पर गाड़ानुमा खाली है।

अतः जांच आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

अशोक कुमार सिंह
राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र-शेरवाँ
तहसील-निजामाबाद,आजमगढ़

नरेन्द्र राम
लेखपाल
तहसील-निजामाबाद, आजमगढ़

अपर जिलाधिकारी (वि/रा0)
आजमगढ़

आख्या महोदय के सेवा में सादर प्रेषित

तहसीलदार

True Copy
24-2-26

सत्य-प्रतिलिपि
अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)
आजमगढ़

21

महोदय,

कृपया कार्यालय, तहसीलदार महोदय, निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के आदेश दिनांक 29.08.2025 का संदर्भ गृहण करने की कृपा करें जिसमे मा0 न्यायालय अपर कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी (वि/रा0) आजमगढ़ के पत्र संख्या 3959/रीटर अंजिअ दिनांक 28/08/25 द्वारा मु. नं. डी202315060004837 मो0 शाहिद बनाम तहसीलदार वाद अंतर्गत धारा 67(5) उ0प्र0रा0सं0 2006 बाबत गाटा संख्या 208 स्थित ग्राम निजामुद्दीन पट्टी परगना व तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़ में राजस्व निरीक्षक आख्या दिनां 25/07/2025 पर आपत्ति द्वारा विपक्षी शम्से कमर दिनांक 25.08.2025 के क्रम में राजस्व टीम गठित कर स्थलीय आख्या मय फील्ड बुक उपलब्ध कराए जाने के बाबत निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में गठित राजस्व टीम द्वारा मौके पर जाकर स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच की गई व गाटा संख्या 208 का सीमांकन किया गया जाँच आख्या निम्नवत् है।

महोदय, उक्त प्रकरण में सादर अवगत कराना है कि ग्राम निजामुद्दीन पट्टी के राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 208/0.089 है0 गाडा खाते की भूमि है। उक्त गाटा सख्या 208/0.089 है0 गाडा खाते की भूमि, गाटा संख्या 193 रकबा 1.437 है0 आबादी श्रेणी 6(2) व गाआ संख्या 207 रकबा 0.037 है0 बंजर खाते की भूमि व गाटा संख्या 209 रकबा 0.176 है0 संक्रमणीय भूमिधन अब्दुल कयूम पुत्र मुख्तार से घिरी हुयी है। गाटा संख्या 208 गाडा. भूमि के सीमांकन के बाबत जरीबी लाइन चलना संभव न होने पर आस–पास अन्य स्थाई पत्थरों की तलाश किया जो प्रश्नगत स्थल से काफी दूर व आबादी से घिरे होने के कारण सीमांकन हेतू उपयुक्त नहीं थे। तत्पश्चात गाटा संख्या 208 के सीमांकन के बाबत चकमार्ग गाटा संख्या 124 व चकमार्ग गाटा संख्या 130 की कटान बिन्दू (तीमेड़ा) जिसे संलग्न फील्डबुक में बिन्दु A से प्रदर्शित किया गया है। व मुख्यमार्ग गाटा संख्या 129 व 369 व मार्ग गाटा संख्या 131 व 133/423 के कटान बिन्दू (चौमेड़ा) जिसे संलग्न फील्डबुक में बिन्दु B से प्रदर्शित किया गया है तथा A की सहायता से काल्पनिक बिन्दु C मुताबिक भू–चित्र खींचा गया तथा गाटा सं0 134 के उत्तरी पूर्वी कोण को बिन्दु D तथा गाटा सं0 240 की उत्तरी पश्चिमी कोणए को बिन्दु E से प्रदर्शित किया गया है। उक्त बिन्दु A,C,D,E को आधार मानकर गाटा संख्या 208/0.089 है0 गाड़ा खाते की भूमि का सीमांकन किया गया। मौके पर चली गई दूरी

22

व जरीबी लाइन को फील्ड बुक में प्रदर्शित किया गया है जिस कारण पुनः यहां अंकित करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त बिन्दुओं से सीमांकन उपरांत विदित हुआ कि गाटा संख्या 208/0.089 है0 गाड़ा भूमि में से रकबा 0.004 है0 भूमि पर इस्तियाक अहमद पुत्र कायम अली व रकबा 0.010 है0 पर असहद मो0 अरशद, मौ0 फहीम पुत्रगण अबुलैस अहमद द्वारा पक्का पैतृक आवासीय मकान बनाकर अवैध अध्यासन किया गया है। महोदय साथ ही यह भी अवगत कराना है कि गाटा संख्या 208 रकबा 0.089 है0 आबादी गाटा संख्या 193/1.437 है0 से घिरा हुआ है। तथा मौके पर 0.089 है से अधिक भूमि परती व मौके पर गाड़ानुमा खाली है।

अतः जांच आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

हस्ता0

हस्ता 09.09.25
अशोक कुमार सिंह
राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र–शेरवाँ
तहसील–निजामाबाद, आजमगढ़

हस्ता0
हरेन्द्र राम लेखपाल
मंडल मोहम्मदपुर
तहसील–निजामाबाद,
आजमगढ़

हस्ता0

अपर जिलाधिकारी वि/रा0
महोदय, आजमगढ़

हस्ता0

हस्ता0

महोदय के सेवा में सादर प्रेषित है

हस्ता0 09.09.25

Fair Typed Copy

23

To

The Office of District Magistrate
Collectorate Bhawan, Civil Lines, Azamgarh,
Azamgarh, Uttar Pradesh-276001,
Mob.: 9454417521

SUB: COMPLAINT FOR NOT TAKING ANY LEGAL ACTION DESPITE SPECIFIC REPORTING/COMPLAINT AGAINST THE LAW BREAKER AND ENCROACHER OF GRAM SABHA LAND AND DESTROYER OF "CHAH PUKHTA" RATHER FORWARDED A FALSE AND FICTITIOUS REPORT MISCONSTRUING THE PRESENT SCENARIO TWISTING THE FACT BEING HAND-IN-GLOVE WITH CULPRITS BY AREA LEKHPAL, TEHSILDAR, REVENUE INSPECTOR AND SDM OF TEHSIL NIZAMABAD, AZAMGARH, UTTAR PRADESH.

Respected Sir,

I would like to inform you that I am the permanent resident of Village Nizamuddin Patti, Tehsil & Pargana, Nizamabad, Police Station Sarai Meer, District Azamgarh, Uttar Pradesh. In the Village there is a piece of land vide Gata No.207 admeasuring 036 Hect. which belonged from Banjar Category land, in which there is a Well present in Gram Sabha Map and shown by conventional symbol (Chah Pukhta) as per UP Revenue Code 2006, some portion of common land of Villagers i.e. Banjar has been encroached by Sh. Istiyak Ahmad S/o Late Qayam Ali and their son, Chah Pukhta (Well) has also been destroyed/mutilated and filled with soil due to which apart from other prejudice demarcation of whole village has been disturbed which should be restored on its original form by area lekhpal and Tehsildar after information as per U.P. Revenue Code 2006.

That earlier complainant had made several complaint but nothing happened and always a false and misguiding report has been filed by local officials particularly by Lekhpal. On 11.09.2023 complainant has filed one such complaint on CM Portal Uttar Pradesh vide complaint No.40019123030075 in reply to the same area Lekhpal and other local officials have admitted the existence of Well (Chah Pukhta) and also the existence of Banjar Land of Gata No.207 but without any demarcation denied the

encroachment upon the said land distracting the matter and further reported that Well (Chah Pukhta) has been filled itself without any enquiry only to save the culprit while the complainant has specifically stated in his complaint that it has been filled with soil by above culprits for the purpose to disturb the demarcation therefore, legal action was required as per U.P. Revenue Code 2006 with restoration of Well (Chah Pukhta) by raising the wall of Well uptil to 2½ feet high from earth.

That area Lekhpal and local officials are not doing needful rather distracting the matter twisting the fact by standing with culprits.

It is therefore, requested that local officials may kindly be directed to demarcate the Gata No.207, admeasuring 036 Hect. in presence of complainant and further to dig out the Well to its original form and raise the wall of Well (Chah Pukhta) upto 2½ Feet high from Earth at the cost of culprits to avoid any further impediment at present and in future.

Yours faithfully

Date: 30-5-24

Shams O Qamar
S/o Late Feeroz Ahmad
Village Nizamuddin Patti,
Tehsil & Pargana, Nizamabad,
Police Station Sarai Meer,
District Azamgarh,
Uttar Pradesh
Mob:9811070574

Copy to:
Hon'ble Administrative Judge, Hon'ble High Court of Allahabad at Pragraj Uttar Pradesh

5

ED713124524IN IVR:6968713124524
SP DISTT COURT COMPLEX SAKET SO <110017>
Counter No:2,30/05/2024,12:13
To:THE D.M ,AT.COLLECTARARTA
PIN:276001, Azamgarh HO
From:SHAMS.D.QAM,VILL.NIZAMUDDIN
Wt:20gms
Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

Postal Receipt